10-563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख़ सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

23 (1.) अरविन्द कुमार वर्मा पिता स्व0 केदार कुमार वर्मा एवं (2.) लोकेश कुमार पिता स्व0 गोपाल राम, निवास स्थान ग्राम-कर्वेकला, अमृतनगर, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्वेखुर्द, थाना नं0-172, खाता संख्या-15, प्लॉट संख्या-910 रकवा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि देवकी देवी पति टेकोचन्द महतो, निवास स्थान ग्राम-मड़मो, पोस्ट-खेलको, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-344/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1969/रा0 दिनांक 07.06.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1566 दिनांक 10.08.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खतियानी रैयत मुडील कहार वल्द लट्टु कहार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 4.67 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 3.7917 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-13/I पर खाता संख्या-15 कुल रकवा 3.7917 एकड़ की जमाबंदी मुडील कहार, लुरक के नाम से दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। संलग्न वंशावली एवं खतियान के अनुसार आवेदक वंशज हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक का घरेलु बँटवारा के अनुसार हिस्सा है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 3.7117 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) अरविन्द कुमार वर्मा पिता स्व0 केदार कुमार वर्मा एवं (2.) लोकेश कुमार पिता स्व0 गोपाल राम, निवास स्थान ग्राम-कर्वेकला, अमृतनगर, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्वेखुर्द, थाना नं0-172, खाता संख्या-15, प्लॉट संख्या-910 रकवा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि देवकी देवी पति टेकोचन्द महतो, निवास स्थान ग्राम-मड़मो, पोस्ट-खेतको, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.08.29 16:46:43 +05:30
Location: 192.168.0.103